

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 557 / 2011
संस्थान दिनांक 22.12.11

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

उम्मीद खान पिता छोटे खान, आयु 35 वर्ष
निवासी- सुख विलास कॉलोनी, बड़वानी
जिला - बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 24.07.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 296 / 2011 अंतर्गत 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 22.11.2011 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 15.11.2011 को दोपहर लगभग 02:30 बजे, पेमाजी के खेत के सामने बिलवा रोड़ पर वाहन क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर उस पर सवार जियालाल एवं अशोक की ऐसी मृत्यु कारित करने, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 304-ए (2 शीर्ष) भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 15.11.2011 को फरियादी मयाराम चौहान उसकी मोटरसाईकिल से शांतिलाल के साथ अंजड़ आया था, अंजड़ से लगभग 1:45 बजे फरियादी व शांतिलाल वापस घर अंजड़ से निकले, फरियादी के गाँव का जियालाल उसकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 46 एम. 5460 से फरियादी के आगे-आगे चल रहा था। जियालाल के पीछे गाँव का अशोक भी बैठा हुआ था। जैसे ही फरियादी बिलवा फाटे के पास पहुँचे कि सामने से राजपुर की ओर से एक बस रेवा कृपा का

चालक बस को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और फरियादी के आगे चल रहे जियालाल की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे जियालाल व अशोक गिर गये। बस का चालक बस की वही छोड़कर भाग गया। तत्पश्चात् फरियादी एवं शांतिलाल ने पास जाकर देखा तो जियालाल को सिर, दोनों हाथ एवं पैरों में चोटें आकर रक्त निकल रहा था। अशोक को भी सिर, सीने में चोटें आकर रक्त निकल रहा था। जियालाल एवं अशोक को आई चोटों से घटनास्थल पर ही दोनों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने फरियादी मयाराम चौहान द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त वाहन रेवा कृपा बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 296/2011 अंतर्गत धारा 304-ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान फरियादी मयाराम की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने घटनास्थल से वाहन रेवा कृपा बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 को जप्त कर प्रदर्शपी 12 का जप्ती पंचनामा बनाया व अभियुक्त से बस के दस्तावेज व अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 13 का जप्ती पंचनामा बनाया व अनुसंधान के दौरान साक्षीगण सीताराम, सदाशिव, मयाराम व शांतिलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 15.11.2011 को दोपहर लगभग 02:30 बजे, पेमाजी के खेत के सामने बिलवा रोड़ पर वाहन क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर उस पर सवार जियालाल एवं अशोक की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी मयाराम (अ.सा.1), शांतिलाल (अ.सा.2), सीताराम (अ.सा.3), डॉ. विमलेश चौयल (अ.सा.4), पण्डू (अ.सा.5), सदाशिव (अ.सा.6), दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.7), सहायक उपनिरीक्षक गजेन्द्रसिंह (अ.सा.8) एवं संजय पुरोहित (अ.सा.9) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार **विचारणीय प्रश्न के संबंध में**

7. उक्त विचारीय प्रश्न के संबंध में मयाराम अ.सा. 1 का कथन है कि वह जियालाल एवं अशोक को जानता है। लगभग ढेढ़ वर्ष पूर्व अंजड़-बिलवा रोड़ के मध्य दुर्घटना हुई थी। दोपहर लगभग 2 बजे वह शांतिलाल के साथ मोटरसाईकिल से अंजड़ से ग्राम कासेल जा रहा था। उसकी मोटरसाईकिल के आगे जियालाल एवं अशोक भी मोटरसाईकिल से जा रहे थे राजपुर की ओर से एक बस तेज गति से आ रही थी, जिसमें जियालाल व अशोक की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी। मोटरसाईकिल बस के बम्पर में अटक गई थी तथा लगभग 1/2 किलोमीटर मोटरसाईकिल बस के साथ रगड़ती हुई चली गई थी, उनके चिल्लाने के बाद भी बस के चालक ने बस को नहीं रोका। बस कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा, बस किस कम्पनी की थी उसे ध्यान नहीं है। बस का चालक बस को छोड़कर भाग गया था। बस का क्रमांक उसे ध्यान नहीं है। दुर्घटना में जियालाल एवं अशोक को चोटें आई थी, जिससे घटनास्थल पर दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर की थी जो प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशांदेही से घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाते समय रेवा कृपा कम्पनी की बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 बताया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रदर्शपी 3 के कथन में उक्त बातें बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त को देखकर पहचान सकता है।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जियालाल एवं अशोक मोटरसाईकिल से अंजड़ से उनसे 10 मिनट पहले निकला था। उसकी मोटरसाईकिल जियालाल की मोटरसाईकिल से लगभग 90 फीट आगे थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने बस का क्रमांक नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे बस का क्रमांक ध्यान नहीं है। साक्षी ने यह मालूम होने से इंकार किया कि उसने पुलिस को उक्त बस का क्रमांक प्रदर्शपी 1 में लिखाया था या नहीं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने बस से जियालाल की मोटरसाईकिल को टकराते हुए नहीं देखा था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह बस का क्रमांक गलत बता रहा है अथवा उसने असत्य रिपोर्ट दर्ज कराई है।

9. शांतिलाल असा 2 ने भी मयाराम असा 1 के कथनों का समर्थन करते हुए जियालाल एवं अशोक की मृत्यु बस दुर्घटना में होना बताया है। साक्षी का यह भी कथन है कि रेवा कृपा बस ने तेजी से आकर टक्कर मार दी थी। उसने घटनास्थल पर बस का क्रमांक देखा था और पुलिस को बताया था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने बस के चालक को घटनास्थल पर नहीं देखा था और वह उसे देखकर भी नहीं पहचान सकता है। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि बस का चालक बस को लापरवाहीपूर्वक चला रहा था, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 5 के कथन में बस का क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उनकी मोटरसाईकिल एवं जियालाल की मोटरसाईकिल के मध्य लगभग 40 फीट की दूरी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि जियालाल उसकी मोटरसाईकिल को तेजी से चला रहा था अथवा इस कारण दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी।

10. सीताराम असा 3, सदाशिव असा 6 ने भी दुर्घटना की सूचना मिलने तथा उक्त दुर्घटना में जियालाल एवं अशोक की मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। सीताराम असा 3 को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि मयाराम एवं शांतिलाल ने उसे दुर्घटना के 2 दिन बाद दुर्घटना करने वाली बस का नाम रेवा कृपा तथा क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके पुत्र द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से मोटरसाईकिल चलाने से दुर्घटना हुई थी। सदाशिव असा 6 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना के समय वह कुक्षी गया था और उसे शांतिलाल एवं मयाराम ने कोई घटना नहीं बताई थी।

11. डॉ. विमलेश चोयल असा 4 ने दिनांक 15.11.2011 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में थाना अंजड़ के आरक्षक महेन्द्र कुमार द्वारा लाये जाने पर मृतक जियालाल पिता सीताराम, आयु 35 वर्ष, निवासी-ग्राम कासेल एवं अशोक पिता सदाशिव, आयु 16 वर्ष, निवासी ग्राम कासेल के शव का परीक्षण करने पर और उनकी मृत्यु अत्यधिक रक्त स्राव और शाक के कारण होना बताया है तथा मृत्यु का समय परीक्षण के 6 घंटे के भीतर दुर्घटनात्मक प्रकृति की मृत्यु होना बताया है तथा शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 6 एवं 7 भी होना प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिया पर से गिरने पर इस प्रकार की चोटें आकर मृत्यु होना संभव है।

12. पण्डु असा 5 ने दिनांक 17.11.2011 को थाना अंजड़ में जप्त वाहन बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उसमें चालक के साईड का हेड लाईट टूटा होना पाया था तथा अन्य पार्ट्स ठीक अवस्था में होना पाये थे। साक्षी ने उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 8 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 8 का प्रतिवेदन उसकी हस्तलिपि में नहीं है।

13. सहायक उपनिरीक्षक गजेन्द्रसिंह असा 8 ने दिनांक 15.11.2011 को थाना अंजड़ में फरियादी मयाराम चौहान की रिपोर्ट के आधार पर रेवा कृपा बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक बस चलाकर जियालाल एवं अशोक को टक्कर मारने से उनकी मृत्यु हो जाने के संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 दर्ज कराने के संबंध में साक्ष्य दी है। साक्षी का यह भी कथन है कि प्रदर्शपी 1 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मार्ग क्रमांक 59/11 तथा 60/11 प्रदर्शपी 15 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी ने वाहन का नाम एवं क्रमांक नहीं बताया है।

14. दुलीचंद पाटीदार असा 7 का कथन है कि दिनांक 15.11.2011 को थाना अंजड़ पर प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होने से उसने अपराध क्रमांक 296/11 की विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल पहुँचकर जियालाल एवं अशोक की लाश का पंचनामा बनाने हेतु प्रदर्शपी 9 का सफीना फार्म साक्षियों को जारी किया था। उसने जियालाल एवं अशोक की लाश का पंचायतनामा प्रदर्शपी 10 एवं 11 का बनाया था जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल से यात्री बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 रेवा कृपा कम्पनी की बस प्रदर्शपी 12 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और अभियुक्त के पेश करने पर बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 13 अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसने कोई बस जप्त नहीं की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर दो वाहन निकल सकते हैं, इतना चौड़ा है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

15. संजय पुरोहित असा 9 का कथन है कि वर्ष 2011 में उसकी रेवा कृपा फर्म की बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 अंजड़ से बड़वानी एवं उसके आगे जाती थी। साक्षी ने प्रदर्शपी 15 के प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं, लेकिन साक्षी ने उस पर अपनी लिखावट होने से इंकार किया है। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 15 में यह लिखा है कि उक्त वाहन का चालक अभियुक्त है, लेकिन साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि उसने अपने मैनेजर मुकेश पुरोहित के कहने पर हस्ताक्षर किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि वह अंजड़ न्यायालय में वाहन सुपुदर्गी पर प्राप्त करने के लिए आया था तब थाने पर पुलिस ने उससे हस्ताक्षर करवाये थे लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्त को पहचानता है और उसे बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मैनेजर वाहन चालक रखते हैं और चालक अपने कार्य होने से अन्य चालक को भेज देते हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस को उम्मीद खान चालक है, होने की बात नहीं बताई थी।

16. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 को घटनास्थल पर तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर जियालाल एवं अशोक की मोटरसाईकिल को टक्कर मारने एवं उनकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यहाँ तक कि किसी भी साक्षी ने अभियुक्त की पहचान घटना के समय वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में भी नहीं की है। यहाँ तक कि वाहन के स्वामी संजय पुरोहित असा 9 ने भी अभियुक्त को घटना दिनांक को दुर्घटना करने वाली बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 का चालक होने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है तथा प्रदर्शपी 15 का प्रमाण पत्र अपने द्वारा जारी करने से भी इंकार किया है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर अशोक एवं जियालाल की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त उम्मीद खान के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त उम्मीद खान को संदेह का लाभ देते हुए धारा 304-ए भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 1107 दिनांक 18.11.2011 को उसके पंजीकृत स्वामी संजय पिता दामोदर पुरोहित, निवासी— रणजीत मार्ग, राजीपुरा, बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी